रजिस्ट्री सं॰ डी॰एल॰-33004/97

REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 360] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 15, 1997/भाद्र 24, 1919

No. 360] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 15, 1997/BHADRA 24, 1919

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1997

सं 44/97-सीमा शुल्क (गे.टे.)

सां.का.नि. 540(अ) :—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 146 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीमाशुल्क सदन अभिकर्ता अनुज्ञापन विनियम, 1984 (जिसे इसमें इसके पश्चात् विनियम कहा गया है) का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (i) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम सीमाशुल्क सदन अभिकर्ता अनुज्ञापन (संशोधन) विनियम, 1997 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. उक्त विनियमों में विनियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"4. आवेदनों का आमंत्रण :—आयुक्त प्रति वर्ष जनवरी मास में प्रत्येक सीमाशुल्क स्टेशन के सूचनापट पर सूचना लगा कर और कम से कम ऐसे दो समाचार पत्रों में जिनका उसकी अधिकारिता वाले क्षेत्र में परिचालन है, प्रकाशन द्वारा उसमें आवेदन प्राप्ति के अन्तिम तारीख विनिर्दिष्ट करते हुए सीमाशुल्क सदन अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए इतनी संख्या में अनुज्ञप्तियां देने के लिए जितनी उसके द्वारा निर्धारित की जाए, आवेदन आमंत्रित कर सकेगा। ऐसा आवेदन पत्र उक्त आयुक्त की अधिकारिता के भीतर निकासी कार्य के लिए होगा।

3. उक्त विनियमों के विनियम 6 में खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(क) आवेदक मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक है और अनुज्ञप्तिधारी का एक कर्मचारी है और यह कि उसके पास विनियम 20 के अधीन विहित प्रारूप "छ" में स्थायी पास है और उसके पास ऐसे पास धारक की क्षमता में सीमाशुल्क से माल की निकासी से संबंधित कार्य का तीन वर्ष से अन्यून का अनुभव है :

परन्तु आयुक्त कारणों को अभिलिखित करते हुए प्रारूप "छ" में स्थायी पास का रखा जाना एक वर्ष के लिए शिथिल कर सकेगा।"

4. उक्त विनियमों के विनियम 8 के उपविनियम (2) में ''केन्द्रीय उत्पादशुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड'' शब्दों के स्थान पर ''यथास्थिति, मुख्य सीमाशुल्क आयुक्त या मुख्य सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादशुल्क आयुक्त'' शब्द रखे जाएंगे।

5. उक्त विनियमों के विनियम 8 के उपविनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपविनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

''(3) यदि विनियम 6 के अधीन विहित शर्तों को पूरा करने वाले आवेदकों की संख्या विनियम 4 के अधीन निर्धारित रूप में जारी की जाने वाली अनुज्ञप्तियों की संख्या से अधिक है तो आयुक्त ऐसे आवेदकों में ''छ'' पास धारकों के रूप में अनुभव की ज्येष्ठता को आवेदकों में अग्रता देने की कसौटी के रूप में अपना सकेगा :

परन्तु यदि एक से अधिक आवेदकों के पास समान अवधि का अनुभव है तो आयु में बड़े आवेदकों को अग्रता दी जाएगी।''

6. उक्त विनियमों के विनियम 9 में उपविनियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपविनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''(6)विनियम 10 के अधीन स्थायी अनुज्ञप्ति में धारक जो स्वत्वधारी समुत्थान हैं या एक भागीदारी फर्म है अपने कर्मचारियों या भागीदारियों में से किसी एक को उस समुत्थान या फर्म की ओर से उपविनियम (1) में निर्दिष्ट परीक्षा में हाजिर होने के लिए, समुत्थान या फर्म के उस व्यक्ति के अतिरिक्त जिसने सीमाशुल्क सदन अभिकर्ता अनुज्ञापन (संशोधन) विनियम 1997 के आरम्भ की तारीख को उपविनियम (1) में निर्दिष्ट परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

7. उक्त विनियमों के विनियम 10 के उपविनियम (4) में ''केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड'' शब्दों के स्थान पर ''यथास्थिति, मुख्य सीमाशुल्क आयुक्त या मुख्य सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त'' शब्द रखे जाएंगे।

8. उक्त विनियमों के विनियम 10 के उपविनियम (4) के पश्चात. निम्नलिखित उपविनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''(5) मुख्य आयुक्त स्वयं या अन्यथा, किन्हीं ऐसी कार्यवाहियों के अभिलेख जिसमें आयुक्त ने उपविनियम (3) के अधीन कोई आदेश पारित किया है स्वयं का समाधान करने के प्रयोजन के लिए ऐसे आदेश की वैधता, उपयुक्तता या उससे ठीक होने के बारे में मंगा सकेगा और उनकी परीक्षा कर सकेगा और ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जिन्हें वह उचित समझता है। इस उपविनियम के अधीन ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाएगा जो किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो जब तक कि ऐसे व्यक्ति को अभ्यावेदन करने के लिए युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो और उसकी प्रतिरक्षा में, यदि वह ऐसा चाहता है, उसे सुना नहीं गया हो।''

''विनियम 8 के उपविनियम (5) या उपविनियम (2) के अधीन आयुक्त द्वारा विनियम 8 के, यथास्थिति, उपविनियम (3) या उपविनियम (1) के अधीन पारित आदेश के संबंध में, आयुक्त द्वारा पारित ऐसे आदेश की तारीख से एक वर्ष की अवधि के पश्चात्, कोई आदेश नहीं किया जाएगा।''

9. उक्त विनियमों में विनियम 16 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

''(16) फर्म या कंपनी के गठन में परिवर्तन :—

(1) यदि कोई फर्म या कंपनी अनुज्ञप्तिधारी है और उसके गठन में कोई परिवर्तन होता है तो उसकी रिपोर्ट, यथास्थिति, फर्म द्वारा या कंपनी द्वारा यथासंभव शीघ्र आयुक्त को की जाएगी और ऐसा परिवर्तन उपदर्शित करते हुए ऐसे फर्म या कंपनी, यथास्थिति, विनियम 5 या विनियम 10 के अधीन अनुज्ञप्ति दिए जाने के लिए तीस दिन के भीतर उक्त आयुक्त को एक नया आवेदन करेगी। ऐसी आवेदन की संवीक्षा पर आयुक्त यथास्थिति, फर्म या कंपनी को आवेदन द्वारा गठन में परिवर्तन से पहले पारित प्रवर्ग की नई अनुज्ञप्ति मंजूर कर सकेगा, यदि उसके विरूद्ध कुछ नहीं है।

परन्तु यदि विद्यमान फर्म या कंपनी उस आशय का आवेदन करती है तो उसे सीमाशुल्क सदन अभिकर्ता के कारबार का संचालन करने के लिए उस सीमा तक अनुज्ञात किया जा सकेगा जब तक फर्म या कंपनी के नये आवेदन पर कोई विनिश्चय नहीं कर लिया जाता है।''

10. उक्त विनियमों के विनियम 20 के उपविनियम (3) के परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''परन्तु यह और कि उपविनियम (1) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति ने उस उपविनियम के अधीन अपने नियोजन से पूर्व केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या उसके समकक्ष से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है।

[फा. सं. 502/108/96-सी. शु.-VI]

विजय कुमार, अवर सचिव

टिप्पण:— मूल विनियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 85/84 दिनांक 19-3-84 [सा. का. नि. सं. 220 (अ) दिनांक 19-3-84] द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना सं. 240/84 दिनांक 17-9-84 [सा. का. नि. सं. 667 (अ) दिनांक 17-9-84] तथा अधिसूचना सं. 74/91 दिनांक 15-11-91 [सा. का. नि. सं. 690 (अ) दिनांक 15-11-91] तथा अधिसूचना सं. 35/92-एन. टी. सीमा शुल्क दिनांक 30-4-92 [सा. का. नि. 448 (अ) दिनांक 30-4-92] द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 1997

No. 44/97-Customs (N.T.)

G.S.R.540 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 146 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby makes the following regulations further to amend the Customs House Agents Licencing Regulations, 1984 (hereinafter referred to as the said Regulations), namely :—

1. (i) The Regulations may be called the Customs House Agents Licencing (Amendment) Regulations, 1997.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the said Regulations, for regulation 4, the following regulation shall be substituted, namely :—

"4. Invitation of application :— The commissioner may invite applications for the grant of such number of Licences as assessed by him, to act as Customs House Agents in the month of January every year by means of a notice affixed on the notice board of each Customs Station as well as through publication in at least two newspapers having circulation in the area of his jurisdication specifying therein the last date of receipt of application. Such application shall be for clearance work within the jurisdiction of the said Commissioner".

3. In regulation 6 of the said Regulations, for clause (a), the following clause shall be substituted, namely :—

"(a) the applicant is a graduate from a recognised University and is an employee of a licensee and that he possesses a permanent pass in Form G Prescribed under regulation 20 and has the experience of work relating to clearance of goods through the Customs, for a period of not less than three years in the capacity of such a passholder : Provided that the Commissioner may relax the possession of permanent pass in Form G to one year for reasons to be recorded in writing".

4. In sub-regulation (2) or regulation 8 of the said Regulations, for the words "the Central Board of Excise and Customs", the words "the Chief Commissioner of Customs or Chief Commissioner of Customs and Central Excise, as the case may be," shall be, substituted.

5. After sub-regulation (2) of regulation 8 of the said Regulations, the following sub-regulation shall be inserted, namely :—

" (3) In case the number of applicants fulfilling the conditions prescribed under regulation 6 is more than the number of licences to be issued as assessed under regulation 4, the Commissioner may adopt seniority in experience as 'G' pass holder of such applicants as the criterion to give precedence to the applicants. Provided that if more than one applicant has the same period of experience, the applicant who is older in age shall get precedence".

6. In regulation 9 of the said Regulations, after sub-regulation (5), the following sub-regulation shall be inserted, namely :—

(5) The holders of a regular licence under regulation 10 who are a proprietory concern or a partnership firm, may authorise one of their employees or partners to appear for the examination referred to in sub-regulation (1) on behalf of that concern or firm to work in that concern or firm as Customs House Agent in addition to the person the concern or firm who has passed the examination referred to in sub-regulation (1) on the date of Commencement of the Customs House Agents Licensing (Amendment) Regulation, 1997".

7. In sub-regulation 4 of regulation 10 of the said Regulations for the words "the Central Board of Excise & Customs", the words "the Chief Commissioner of Customs or Chief Commissioner of Customs and Central Excise, as the case may be," shall be substituted.

8. After sub-regulation 4 of regulation 10 of the said Regulations, the following sub-regulations shall be inserted, namely :—

(5) The Chief Commissioner may, on his own motion or otherwise, call for and examine the records of any proceedings in which the Commissioner has passed any order under sub-regulation 3 for the purpose of satisfying himself "as to the legality, propriety or correctness of such order and may pass such orders as he may deem fit. No order under this sub-regulation shall be made so as to prejudicially affect any person unless such person is given reasonable opportunity for making a representation and being heard in his defence, if he so desires".

(6) "No order shall be made under sub-regulation (5) or sub-regulation (2) of regulation 8 in relation to an order passed by Commissioner under sub-regulation (3) or sub-regulation (1) of regulation 8, as the case may be, after the expiry of one year from the date on which such order was passed by the Commissioner".

9. In the said Regulations, for regulation 16, the following regulation shall be substituted, namely :—

"16. change in constitution of an firm or a company :—

(1) in the case of any firm or a company, being a licensee, any change in the constitution thereof shall be reported by the firm or the company, as the case may be, to the Commissioner as early as possible and any such firm or a Company, indicating such change shall make a fresh application to the said Commissioner within thirty days for the grant of licence under regulation 5 or regulation 10, as the case may be. On scrutiny of such application the Commissioner may grant to the firm or a company, as the case may be, a fresh licence of the category held by the applicant prior to the change in constitution, if there is nothing adverse against him.

Provided that the existing firm or a company, if it moves an application to that effect may be allowed to carry on the business of Customs House Agent till such time as a decision is taken on the fresh application of the firm or the company."

10. After proviso to sub-regulation (3) of regulation 20 of the said Regulations, the following proviso shall be inserted, namely :—

" Provided further that a person referred to in sub-regulation (1) shall have passed the 10th standard of the Central Board of Secondary Education or its equivalent before his employment under that sub-regulation".

[F. No. 502/108/96-CUS. VI]

VIJAY KUMAR, Under Secy.

Note— The Principal regulations were published in the Gazette of India vide notification No. 85/84 dated 19-3-84 (G.S.R. No. 220 (E) dated 19-3-84) and were subsequently amended vide notification No. 240/84 dated 17-9-84 (G.S.R. No. 667 (E) dated 17-9-84) and notification No. 74/91 dated 15-11-91 (G.S.R.No. 690 (E) dated 15-11-91) and notification No. 35/92-N.T. Customs dated 30-4-92 (G.S.R. No. 448 (E) dated 30-4-92).

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054—1997